संख्या-148 /2022/आई/150190/41-1002(001)/186/2021
67(बजट)/2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 26 मार्च,2022**

विषयः- मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गोण्डा एवं मनकापुर हेतु स्वीकृत परियोजना के निरस्तीकरण के फलस्वरूप उनके स्थान पर नवीन परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-सं0-3344/मु0प0सं0यों0(34)/2021 दिनांक 28 सितम्बर 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजनान्तर्गत जनपद गोण्डा के वि0स0क्षे0 गोण्डा एवं मनकापुर में पूर्व स्वीकृत योजनाओं के संबंध में निम्नवत संस्तुति उपलब्ध करायी गई है:-

(1) मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजनान्तर्गत जनपद गोण्डा के वि0स0क्षे0 गोण्डा में स्थित सगरा ताल के पर्यटन विकास की परियोजना की शासनादेश सं0-142/2021/546/41-2021-67(बजट)/2021 दिनांक 22.02.2021 द्वारा स्वीकृत प्रयोजना के संदर्भ में मा0 विधायक गोण्डा सदर के पत्र दिनांक 15.08.21 के क्रम में पूर्व स्वीकृत कार्य सगरा तालाब के पर्यटन विकास के स्थान पर सगरा तालाब के समीप कुज बिहारी मंदिर परिसर में स्थित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सरोवर व उसके भीतर स्थित पौराणिक महत्व के 37 कुओं का जीर्णोद्धार कराने हेतु संस्तुति।

(2) मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजनान्तर्गत जनपद गोण्डा के वि0स0क्षे0 मनकापुर में स्वीकृत सरयू नदी पर घाट व मूल भूत सुविधाओं के पर्यटन विकास की परियोजनाओं की शासनादेश सं0-142/2021/546/41-2021-67(बजट)/2021 दिनांक 22.02.2021 द्वारा स्वीकृत प्रयोजना के संदर्भ में श्री रामपति शास्त्री मा0 मंत्री जी, समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के पत्र दिनांक 31.08.21 के क्रम में पूर्व स्वीकृत कार्य के स्थान पर मनकापुर में अयोध्या जी के बगल में कटरा कुटी धाम में चहरदीवारी तथा सत्संग कक्ष के निर्माण सहित सौन्दर्यीकरण एवं मूलभूत सुविधाओ को उपलब्ध कराने हेतु सुविधाओं दिये जाने की परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति।

2- वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजनान्तर्गत जनपद गोण्डा के वि0स0क्षे0 गोण्डा में स्थित सगरा ताल के पर्यटन विकास की प्रयोजना हेतु चयनित कार्यदायी संस्था यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा तैयार किये गये आगणन के सापेक्ष रू0 50.00 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 25.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-142/2021/546/41-2021-67(बजट)/2021 दिनांक 22.02.2021 द्वारा निर्गत की गयी धनराशि उक्त स्वीकृत को शासनादेश सं0 2904/41-2021-67 (बजट)/2021, दिनांक 3.12.21 द्वारा निरस्त कर प्रयोजना हेतु अवमुक्त की गई प्रथम किश्त की धनराशि को अर्जित ब्याज सहित राजकोष में जमा कराने का निर्देश महानिदेशक पर्यटन को दिया गया जिसके अनुपालन में महाप्रबंधक यू0पी0पी0सी0एल0 (वा0) के पत्रांक-8488/ पी0सी0एल0/मुख्यालय/पीएण्डपी/पर्यटन विभाग दिनांक 22.03.2022 द्वारा धनराशि रू0 25.00 लाख को राजकोष में जमा कराने की सूचना दी गई है।

3- इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजनान्तर्गत जनपद गोण्डा के वि0स0क्षे0 मनकापुर में स्वीकृत सरयू नदी पर घाट व मूलभूत सुविधाओं के पर्यटन विकास परियोजना हेतु चयनित कार्यदायी संस्था यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा तैयार किये गये आगणन के सापेक्ष रू0-42.13 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 21.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-142/2021/546/41-2021-67(बजट)/2021 दिनांक 3.12.21 द्वारा निरस्त कर प्रयोजना हेतु अवमुक्त की गई प्रथम किश्त की धनराशि को अर्जित ब्याज सहित राजकोष में जमा कराने के निर्देश महानिदेशक पर्यटन को दिया गया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जिसके अनुपालन में महाप्रबंधक यू0पी0पी0सी0एल0 (वा0) के पत्रांक-8488/पी0सी0एल0/मुख्यालय/पीएण्डपी/पर्यटन विभाग दिनांक 22.03.2022 द्वारा धनराशि रू0-21.00 लाख को राजकोष में जमा कराने की सूचना दी गई है।

4- उपरोक्त पृष्ठभूमि में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजनान्तर्गत जनपद गोण्डा के वि0स0क्षे0 गोण्डा एवं मनकापुर के पर्यटन विकास परियोजना हेतु चयनित कार्यदायी संस्था यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा तैयार किये गये नवीन आगणन के सापेक्ष विभागीय अप्रेजल समिति द्वारा मूल्यांकित लागत के अनुसार निम्नवत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति उप प्रस्तर-4(1) व 4(20) पर अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

क्र0	वि0स0 क्षेत्र	योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति (रू लाख में)	प्रथम किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति (रू0 लाख में)
1	गोण्डा	सगरा तालाब के समीप कुंज बिहारी मंदिर परिसर में स्थित सरोवर व उसके भीतर स्थित पौराणिक महत्व कें 37 कुओं का जीर्णोद्धार	30.72 (जी0एस0टी0 सहित)	15.36
2	मनकापुर	मनकापुर में अयोध्या जी के बगल में स्थित वि0ख0 नवाबगंज में कटरा कुटी धाम में चहरदीवारी तथा सत्संग कक्ष कें निर्माण सहित सौन्दर्यीकरण एवं मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करानक की परियोजना	28.61 (जी0एस0टी0 सहित)	14.31

(1) मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद गोण्डा के वि0स0क्षे0 गोण्डा एवं मनकापुर के संबंध में शासनादेश सं0-142/2021/546/41-2021-67(बजट)/2021 दिनांक 22.02.21 द्वारा अवमुक्त की गई प्रथम किश्त की कुल धनराशि रू0-46.00 लाख के सापेक्ष अर्जित ब्याज की धनराशि एक सप्ताह के अंदर जमा कराकर शासन को कुल कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग प्रकिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांके 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशो/निर्देशों में निहीत शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं/विभागो/प्राधिकरणों आदि से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वार्णित व्यवस्थानुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही प्रयोजनाके निर्माण हेतु दूसरी किश्त निर्गत की जायेगी।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020 शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2019, दिनांक 7.4.2020, शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020 शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04.2020, शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18.05.2020 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनाँक 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एवं प्रविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नही किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेगे।

(6) प्रयोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदासी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र-जी0एस0टी0 इन्वायस एवं धनराशि के भुगतान का पूर्ण प्रमाणिक विवरण सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(9) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा पिरयोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मात परिसम्पति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगाएवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(10) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियंन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 **(VII)** में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों को जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(12) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी युनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृति/पुनरावृति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे। कार्यदायी संस्था से कार्य की समप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(13) अवमुक्त की जा रही धनराशि का अहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैक खातें आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तों उसे अनिवार्य रूप में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेंणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ताके अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(15) प्रयोजना में स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारीयों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) कार्य की विशिष्टियों, मानक एवं गुणवत्ता आदि की पूर्ण जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवन-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017,दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रयोजना का पार्टचार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(18) प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि की वैधानिक उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जायेगी तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकत तथा नियमानुसार किया जायेगा।कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(20) संबंधित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी एवं महानिदेशक पर्यटन द्वारा प्रयोजना की द्वितीय किश्त की मांग करते समय कार्यदायी संस्था से वास्तविक लागत/तकनीकी स्वीकृति/एम0बी0/अनुबंध/टैण्डर्ड डाक्यूमेण्ट एवं टेण्डर लागत पर मदवार व्यय की गई धनराशि का व्यय विवरण/मेजरमेण्ट डिटेल्स आदि प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त अभिलेखों के बिना द्वितीय किश्त नही जारी की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपर्युक्त प्रस्तर-4 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-3520/दस-2022 दिनांक 24 मार्च 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव ।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, गोण्डा।
4- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
5- सुश्री प्रीति नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक,पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8- परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0,यूनिट-22 गोण्डा।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
10- उप निदेशक पर्यटन देवीपाटन मण्डल गोण्डा।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in